हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड
कोर-7ए, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

फाइल सं.एफ.11(117)/2014-एचआरएमए/सीएस-178 24 अक्टूबर, 2016

परिपत्र

विषय: सतर्कता तंत्र

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के अनुसार

1. हडको को अपने निदेशकों तथा कर्मचारियों के लिए एक ऐसे सतर्कता तंत्र की आवश्यकता है जिसके अंतर्गत वे निर्धारित तरीके से अपनी समस्याओं की सूचना दे सकें।

2. लेखापरीक्षा समिति सतर्कता तंत्र की निगरानी करेगी और यदि समिति के किसी सदस्य को दिए गए मुद्दे पर हितों की रक्षा के संबंध में मतभेद है, तब वह अपनी असहमति प्रकट कर सकता है जिसे समिति के अन्य सदस्य एकमत होते हुए उसपर तुरंत विचार करेंगे।

3. सतर्कता तंत्र, पीड़ित कर्मचारियों के हितों की पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए उपयुक्त और विशेष मामलों में उन्हें अध्यक्ष, लेखापरीक्षा समिति की सहज पहुंच उपलब्ध कराएगा।

4. सतर्कता तंत्र की स्थापना के विवरणों का खुलासा कंपनी द्वारा वेबसाइट और निदेशको की रिपोर्ट में किया जाएगा।

5. किसी निदेशक अथवा कर्मचारी द्वारा बार-बार फाइल की जा रही छिछोरी शिकायतों के लिए लेखापरीक्षा समिति संबधित निदेशक अथवा कर्मचारी के विरूद्ध उपयुक्त कार्रवाई कर सकती है जिसमें भर्त्सना अथवा फटकार को शामिल किया जा सकता है।

हडको के पास आवश्यक सतर्कता तंत्र है। तथापि, लेखापरीक्षा समिति ने 26 सितंबर, 2016 को आयोजित अपनी 101वीं बैठक में मद संख्या 101.04 के अंतर्गत इस सतर्कता तंत्र का उपयोग करने वाले पीड़ित कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए उपयुक्त और विशेष मामलों में लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष को अलग से आबंटित की गई ईमेल आईडी पर सूचना भेजने की व्यवस्था करने के लिए पर्याप्त कदम उठाने का निर्णय लिया गया है।

पृष्ठ 2 पर जारी

उपरोक्त के संबंध में, लिए गए निर्णय को कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार सभी कर्मचारियों और निदेशकों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया गया है ताकि नीचे दी गई अध्यक्ष, लेखापरीक्षा समिति की ईमेल आईडी पर सीधे संपर्क किया जा सके।

chair_auditcommittee@hudco.org

सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी ।

(जे. प्रेम नवाज.)
कार्यकारी निदेशक (एचआरएमए)

1. **अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय**
2. **अध्यक्ष लेखापरीक्षा समिति**
3. **हडको बोर्ड के निदेशकगण**
4. **सभी कर्मचारीगण**

प्रतिलिपि:-

1. उप महाप्रबंधक (राजभाषा) – हिंदी रूपांतरण हेतु।
2. उप प्रबंधक (आईटी) – इंट्रानेट पर अपलोड करने हेतु।
3. परिपत्र फाइल